

राजस्थान सरकार  
वित्त(पेंशन)विभाग

क्रमांक:प.2(2)वित्त/पेंशन/2020 लूज

जयपुर,दिनांक 18.01.2024

::आदेश::

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 136 एवं परिशिष्ट-VI के बिंदु संख्या 10 में राज्य सरकार के पेंशनर्स को प्रतिवर्ष नवम्बर माह में जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान है।

पेंशनर्स को कोषालय/उपकोषालय, क्षेत्रीय पेंशन कार्यालयों, पेंशन निदेशालय हेल्प डेस्क में जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने, आधार से ई-मित्र के माध्यम से डिजिटली जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए पेंशन विभाग द्वारा संबंधित पेंशनर के लिए पोर्टल पर लॉगिन आई डी से प्रस्तुत करने हेतु सुविधा उपलब्ध है।

पूर्व में वित्त (पेंशन) विभाग के आदेश क्रमांक पं.2(2)वित्त/पेंशन/2020 दिनांक 01.12.2023 के द्वारा पेंशनरों को जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अवधि दिनांक 31.12.2023 तक बढ़ायी गई थी। उक्त की निरंतरता में राज्य सरकार के पेंशनर्स द्वारा जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की अवधि दिनांक 31.01.2024 तक बढ़ाई जाती है। उक्त अवधि में पेंशन का भुगतान पूर्वानुसार निरंतर किया जायेगा।


यह आदेश वित्त विभाग में आईडी संख्या 592400013 दिनांक 15.01.2024 पर प्राप्त अनुमोदन के अनुसरण में जारी किया जाता है।



(धनलाल शरावत)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:-


1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय/
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, माननीय उपमुख्यमंत्री, /मंत्री/राज्य मंत्री।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राज.
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
6. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग, शासन सचिवालय।
11. समस्त कोषाधिकारी।



संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।



संयुक्त शासन सचिव 18/1/24